ई–मेलः– fdpilibhittr@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत

पत्रांक 1694 **/14–1, पीलीभीत, दिनांक–** 27/03 **/2024**

(बनकटी रोड, पीलीभीत– 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– **जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 730K (रढैता–पीलीभीत खण्ड) निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ ROAD/ 49626/2020 स्तर–II (Stage-II) की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर का पत्रांक–PIU/MoRTE&H/PBE/Forest/2020-21/4070 Date- 20.03.2024 प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय के पत्रांक 3495 / 15–1 दिनांक–22.03.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत ने अपने कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 730K रढैता–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) पर स्थित परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ ROAD/ 49626/2020 में क्षेत्रीय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ द्वारा स्तर–1 की सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक–13.06.2022 को निर्गत की गयी है जिसमें लगयी गयी शर्तो का अनुपालन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराना है कि उक्त खण्ड के कि0मी0 152.380 पर प्रस्तावित टोल प्लाजा नगर पालिका क्षेत्र बीसलपुर में होने के कारण मंत्रालय द्वारा Stagarred Toll Plaza के निर्माण हेतु उपयुक्तता के दृष्टिगत कि0मी0 156.550 पर स्थानांतरित कर दिया गया था जिसे क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक–08.11.2023 में दी गयी 02 शर्तें यथा–Revised layout plan shall be uploaded on portal & Undertaking needs to be submitted that only 17000 (including 202) trees shall be felled सहित सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है।

1. जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग 730K के बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) में पातन किये गये वृक्षों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीभीत रेंज के पत्र दिनांक–27.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि पीलीभीत रेंज में कुल 1540 बाधक वृक्षों का पातन किया गया है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी बीसलपुर रेंज के पत्र दिनांक–26.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि बीसलपुर रेंज में कुल 12800 बाधक वृक्षों का पातन किया गया है अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग–730K के बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) में कुल 14340 बाधक वृक्षों का पातन किया गया है जो उक्त शर्त में अंकित 17000 वृक्षों से कम है।
2. उक्त के अतिरिक्त परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि परिवेश पोर्टल पर स्तर–II में KML File अपलोड किये जाने का कोई विकल्प उपलब्ध नही है। इस सम्बन्ध में निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली से परियोजना निदेशक के कार्यालय के पत्र दिनांक–13.01.2024 एवं 30.12.2023 द्वारा उक्त KML File को अपलोड किये जाने का आग्रह किया गया। परियोजना सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सम्पर्क किये जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त KML File को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्र/आग्रह के उपरान्त ही अपलोड किया जा सकता है।

3. इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक के कार्यालय के पत्र दिनांक–18.03.2024 द्वारा कार्यालय उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल, सेक्टर–एच अलीगंज, लखनऊ से आग्रह किया गया है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 में स्थानांतरित Stagarred Toll Plaza से सम्बन्धित KML File को संलग्न कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु आग्रह किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ ROAD/ 49626/2020 में स्तर–II की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव को अग्रेसित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–परियोजना निदेशक का पत्र एवं अन्य अभिलेख।

भवदीय,

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

पत्रांक 1694 /अ–दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक–3495/ 15–1, पीलीभीत, दिनांक 22 मार्च, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त,
पीलीभीत।

विषय :– जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 730K (रढैता–पीलीभीत खण्ड) निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ ROAD/ 49626/2020 स्तर–II (Stage-II) की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर का पत्रांक–PIU/MoRTE&H/PBE/Forest/2020-214070 Date 20.03.2024

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 730K रढैता–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) पर स्थित परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ ROAD/ 49626/2020 में क्षेत्रीय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ द्वारा स्तर–1 की सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक–13.06.2022 को निर्गत की गयी है जिसमें लगयी गयी शर्तो का अनुपालन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराना है कि उक्त खण्ड के कि0मी0 152.380 पर प्रस्तावित टोल प्लाजा नगर पालिका क्षेत्र बीसलपुर में होने के कारण मंत्रालय द्वारा Stagarred Toll Plaza के निर्माण हेतु उपयुक्तता के दृष्टिगत कि0मी0 156.550 पर स्थानांतरित कर दिया गया था जिसे क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक–08.11.2023 में दी गयी 02 शर्ते यथा–Revised layout plan shall be uploaded on portal & Undertaking needs to be submitted that only 17000 (including 202) trees shall be felled सहित सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है।

2. जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग 730K के बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) में पातन किये गये वृक्षों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीभीत रेंज के पत्र दिनांक–27.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि पीलीभीत रेंज में कुल 1540 बाधक वृक्षों का पातन किया गया है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी बीसलपुर रेंज के पत्र दिनांक–26.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि बीसलपुर रेंज में कुल 12800 बाधक वृक्षों का पातन किया गया है अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग–730K के बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) में कुल 14340 बाधक वृक्षों का पातन किया गया है जो उक्त शर्त में अंकित 17000 वृक्षों से कम है।

उपलब्ध नही है। इस सम्बन्ध में निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली से परियोजना निदेशक के कार्यालय के पत्र दिनांक–13.01.2024 एवं 30.12.2023 द्वारा उक्त KML File को अपलोड किये जाने का आग्रह किया गया। परियोजना सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सम्पर्क किये जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त KML File को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्र/आग्रह के उपरान्त ही अपलोड किया जा सकता है।

4. इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक के कार्यालय के पत्र दिनांक–18.03.2024 द्वारा कार्यालय उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल, सेक्टर–एच अलीगंज, लखनऊ से आग्रह किया गया है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 में स्थानांतरित Stagarred Toll Plaza से सम्बन्धित KML File को संलग्न कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु आग्रह किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक मे परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर द्वारा आग्रह किया गया है कि उक्त प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/ 49626/2020 में स्तर–II की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव को अग्रेसित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–परियोजना निदेशक का पत्र एवं अन्य अभिलेख।

भवदीय

(मनीष सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

शर्त संख्या—1

वचनवद्धता प्रमाण—पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या— FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग—731K के बीसलपुर—पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) कि.मी. 147.600 से कि.मी. 183.380 के अन्तर्गत कुल 17000 (202 वृक्ष सहित) से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव प्रभाग
पीलीभीत

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

No.PIU/MoRT&H/PBE/Forest/2020-21/ 4070

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur

D-14, International City, Nariyawal, Bareilly-243123
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

दिनांक : 20.03.2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
जनपद– पीलीभीत।

विषयः–जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 731K (रढ़ैता–बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 स्तर–II (Stage-II) की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) पर स्थित परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ द्वारा स्तर–I (Stage-I) की सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 13.06.2022 की गयी है जिसमें लगयी गयी शर्तों का अनुपालन Parivesh पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है (प्रति संलग्न) जिसकी मूल प्रति आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

2. यह भी अवगत कराना है कि उक्त खण्ड के कि.मी. 152.380 पर प्रस्तावित टोल प्लाजा नगरपालिका क्षेत्र बीसलपुर में होने के कारण मंत्रालय द्वारा Stagarred Toll Plaza के निर्माण हेतु उपयुक्तता के दृष्टिगत कि.मी. 156.550 पर स्थानांतरित कर दिया गया था जिसे क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक 08.11.2023 में दो शर्त यथा– Revised layout plan shall be uploaded on portal & Undertaking needs to be submitted that only 17000 (including 202) trees shall be felled सहित सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है।

3. उक्त के सम्बन्ध में आपके कार्यालय से जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) में पातन किये गये वृक्षों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु आग्रह किया गया था तत्क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी पीलीभीत रेंज के पत्र दिनांक 27.02.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि पीलीभीत रेंज में कुल 1540 बाधक वृक्षों का पातन किया गया है तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी बीसलपुर रेंज के पत्र दिनांक 26.02.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि बीसलपुर रेंज में कुल 12800 बाधक वृक्षों का पातन किया गया है अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) में कुल 14340 बाधक वृक्षों पातन किया गया है जो उक्त शर्त में अंकित 17000 वृक्षों से कम है।

4. उल्लेखनीय है कि Parivesh पोर्टल पर स्तर–II (Stage-II) में KML File अपलोड किये जाने का कोई विकल्प Option उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.01.2024 एवं 30.12.2023 द्वारा उक्त KML File को अपलोड किये जाने का आग्रह किया गया। यह भी अवगत कराना है कि परियोजना सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सम्पर्क किये जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त KML File को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के पत्र/आग्रह के उपरान्त ही अपलोड किया जा सकता है।

5. इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.03.2024 द्वारा कार्यालय उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ से आग्रह किया गया है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 में स्थानांतरित Stagarred Toll Plaza से सम्बन्धित KML File को संलग्न कर Parivesh पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु आग्रह किया गया है।

क्रमशः....2/–

6. अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे सादर आग्रह है कि उक्त प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 में स्तर–II (Stage-II) की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव को अग्रेसित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Aman Kumar Trigun

(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपि :–

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ।
4. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।
5. जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी, पीलीभीत रेंज, वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत

पत्रांक– 460 / 37–2 दिनांक – 27-2-2024

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वन इकाई
शाहजहाँपुर

विषय : जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग 730सी, 730वी, एवं 731 के (रढैता–बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध मे ।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–3161 / 15–1 दिनांक–22.02.2024

महोदय,

महोदय सन्दर्भित पत्र के अनुपालन मे राष्ट्रीय राजमार्ग 731K के बीसलपुर पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) में वन निगम द्वारा पातन किये गये वृक्षो का विवरण निम्न प्रकार है ।

1– 731 के (रढैता–बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड) दॉयी पटरी –643 वृक्ष

2– 731 के (रढैता–बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड) बायी पटरी –897 वृक्ष

26/02/2024

(पीयूष मोहन श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
पीलीभीत रेंज

पत्रांक– / , दिनांकित

प्रतिलिपि – प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित

(पीयूष मोहन श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
पीलीभीत रेंज

290 ... 26/2/24

सेवा में

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन

इकाई- शाहजहाँपुर

विषय :- जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग 730C, 730 बी (731K) (रैठा से बीसलपुर-पीलीभीत) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 55.376 हे० गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/49626 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- श्रीमान प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्य जीव प्रभाग पीलीभीत का पत्रांक 316/15-1 दि० 24/2/24.

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि बीसलपुर से पौटा तक राजमार्ग संख्या 731K में कुल 12800 वृक्षों का विदोहन कार्य उ०प्र० वन निगम द्वारा किया गया।

सूचनार्थ महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय

क्षेत्रीय वनाधिकारी
(बीसलपुर) पीलीभीत

प्रतिलिपि :- श्रीमान प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्य जीव प्रभाग पीलीभीत के पत्रांक 316/15-1 दिनांक 24/2/2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

RAC
का० का० करें।

01/03/24

क्षेत्रीय वनाधिकारी
(बीसलपुर)

No.PIU/MoRT&H/PBE/Forest/2020-21/ 4054
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
D-14, International City, Nariyawal, Bareilly-243123
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

दिनांक : 18.03.2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल,
सेक्टर—एच, अलीगंज, लखनऊ—226024

विषयः—जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग—730C, 730B एवं 731K (रढ़ैता—बीसलपुर—पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग—731K के बीसलपुर—पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) पर स्थित परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 में आपके कार्यालय द्वारा स्तर—I (Stage-I) की सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 13.06.2022 को निर्गत की गयी है।

2. यह भी अवगत कराना है कि उक्त खण्ड के कि.मी. 152.380 पर प्रस्तावित टोल प्लाजा नगरपालिका क्षेत्र बीसलपुर में होने के कारण मंत्रालय द्वारा Stagarred Toll Plaza के निर्माण हेतु उपयुक्तता के दृष्टिगत कि.मी. 156.550 पर स्थानांतरित कर दिया गया था जिसे क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक 08.11.2023 में शर्त "Revised layout plan shall be uploaded on portal" सहित सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है।

3. उल्लेखनीय है कि Parivesh पोर्टल पर स्तर—II (Stage-II) में KML File अपलोड किये जाने का कोई विकल्प Option उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.01.2024 एवं 30.12.2023 द्वारा उक्त KML File को अपलोड किये जाने का आग्रह किया गया। यह भी अवगत कराना है कि परियोजना सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सम्पर्क किये जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त KML File को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के पत्र/आग्रह के उपरान्त ही अपलोड किया जा सकता है।

4. अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे सादर आग्रह है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 में स्थानांतरित Stagarred Toll Plaza से सम्बन्धित KML File (संलग्न) को Parivesh पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित करने तथा KML File को अपलोड करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता—क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ।

(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।